GOVERNMENT OF JHARKHAND COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT



Letter No. Va Kar/GST/12/2017- 3882

/ Ranchi dated. /8/10//2

Corrigendum

In the Notification No.-13/2017 State Tax (Rate) vide S.O. 43 dated 29thJune, 2017- of the Commercial Taxes Department, Government of Jharkhand published in the Gazette of Jharkhand, in the Table, against serial number 2, in column (2), for -

(2)

"Services supplied by an individual advocate including a senior advocate by way of representational services before any court, tribunal or authority, directly or indirectly, to any business entity located in the taxable territory, including where contract for provision of such service has been entered through another advocate or a firm of advocates, or by a firm of advocates, by way of legal services, to a business entity.",

read

(2)

"Services provided by an individual advocate including a senior advocate or firm of advocates by way of legal services, directly or indirectly.

Explanation.- "legal service" means any service provided in relation to advice, consultancy or assistance in any branch of law, in any manner and includes representational services before any court, tribunal or authority."

2. This notification shall be deemed to be effective from 25th September, 2017.

(K. K. Khandelwal)

Principal Secretary-cum Commissioner



झारखण्ड सरकार <u>वाणिज्य-कर विभाग</u>

ज्ञाप संख्या- वाकर/GST/12/2017- 3882

/रॉची, दिनांक -18/10/17

शुद्धिपत्र

झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), जिसे झारखण्ड के राजपत्र में एस० ओ० 43/ 2017 दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के क्रम संख्या 2 में, कॉलम (2) में,-

(2)
"किसी व्यष्टिक अधिवक्ता, जिसके अंतर्गत कोई विरष्ठ अधिवक्ता भी है द्वारा किसी कराधेय राज्यक्षेत्र, जिसके अंतर्गत वह स्थान भी है, जहां ऐसी सेवाओं के उपबंध के लिए कोई संविदा किसी अन्य अधिवक्ता या अधिवक्ताओं की किसी फर्म के माध्यम से की गई थी, में अवस्थित किसी कारबार अस्तित्व को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु या अधिवक्ताओं की किसी फर्म द्वारा किसी कारबार अस्तित्व को विधिक सेवाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सेवाएं।",

के स्थान पर निम्न को पढ़ा जाए-

(2)

"किसी व्यक्ति विशेष अधिवक्ता जिसके अंतर्गत कोई वरिष्ठ अधिवक्ताभी है या अधिवक्ताओं की फर्म, के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विधिक सेवा के रूप में प्रदान की गई सेवाएं। स्पष्टीकरण:- "विधिक सेवा" से विधि की किसी शाखा में किसी रीति में, किसी सलाह, परामर्श या सहायता के संबंध में उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्वकारी सेवाएं सिम्मिलित हैं।"।

2. यह अधिसूचना 25 सितम्बर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

(के0 के0 खण्डेलवाल)

प्रधान सचिव-सह-आय्क्त